

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प. 21(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक:- 03-4-18


अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 11692/2017 डा. अमित बागड़ा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 की पालना में सेवारत चिकित्सकों को पीजी प्रवेश परीक्षा में अतिरिक्त लाभ देने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.02.18 की निरंतरता में राज्य में स्थित निम्नांकित चिकित्सा संस्थानों को "रिमोट" एवं "डिफिकल्ट" घोषित किया जाता है-

S.No.	Name of District	Name of Block	Name of CHC	Name of PHC
1	JODHPUR	BHOPLAGARH		KUD
2	PALI	SUMERPUR		BANKLI
3	PRATAPGARH	DHARIAWAD		MANDVI
4	PRATAPGARH	ARNOD		AMBIRAMA
5	RAJSAMAND	KUMBHALGARH		SAVENTRI
6	RAJSAMAND	DEOGARH		KUNWATHAL
7	BHILWARA	MANDALGARH		SHYAMPURA


उक्त आदेश दिनांक 28.02.18 से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग।
6. निदेशक (जन स्वा/प.क./एड्स/आईईसी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्राथमिकता से प्रकाशित कराते हुए 100 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव